



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट joda rajasthan gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/147

दिनांक:- 09/11/2023

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की 33/2023 की बैठक दिनांक 06.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 01

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-1 की 22/2023 वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत सर्व-सम्मति से गत बैठक दिनांक 05.09.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 02 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-----------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 32/2 | 15.18.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री लुम्बाराम पुत्र श्री धन्नाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 32/2 रकबा 15.18.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर एवम् सेफ्टी कॉरीडोर सहारे सड़क का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

—R

एजेण्डा संख्या 03:-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | कांकेलाव | 362/2, 364/1 व 364/2 | 12.06.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री केसाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम कांकेलाव के खसरा संख्या 362/2, 364/1 व 364/2 रकबा 12.06.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 04 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 563/8 | 04.05.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री गोकुलराम पुत्र श्री हरजीराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 563/8 रकबा 04.05.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 563/5 के भूखण्ड संख्या 04 सम्पूर्ण एवं भूखण्ड संख्या 03 के आधे भाग को समर्पित करते हुए 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाया गया है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है 0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

| |
|--|
| 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |
|--|

एजेण्डा संख्या 05 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 274/4 | 09.14.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री दिनेश बूब पुत्र श्री रामजीवन, श्री रमेश बूब पुत्र श्री नैनमल | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 274/4 रकबा 09.14.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 273/10, 274/6 व 274/4 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 06 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|--|---|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड़ | 57, 58, 60, 61, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80/1, 81, 83, 84, व 86 कुल खसरे 15 | ख.सं. 57, रकबा 7-08 बीघा, ख.सं. 58, रकबा 8-09 बीघा, ख.सं. 60, रकबा 7-19 बीघा, ख.सं. 61, रकबा 4-13 बीघा, ख.सं. 72, रकबा 22-18 बीघा, ख.सं. 74, रकबा 7 बीघा, ख.सं. 75, रकबा 3-14 बीघा, ख.सं. 76, रकबा 20-16 बीघा, ख.सं. 77, रकबा 25-11 बीघा, ख.सं. 78, रकबा 6-08 बीघा, ख.सं. 80/1, रकबा 10 बीघा, ख.सं. 81, रकबा 17-15 बीघा, ख.सं. 83, रकबा 6-10 बीघा, ख.सं. 84, रकबा 10 बीघा, ख.सं. 86, रकबा 7 बीघा, कुल खसरे 15, कुल रकबा 166-01 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | प्रसन्नदेवी पत्नी श्री राजेन्द्र जैन, निर्मला देवी पत्नी श्री महावीर जैन, कुसुमलता जैन पत्नी श्री नरेन्द्र जैन, श्वेता जैन पत्नी श्री पीयूष लूणीया, निष्ठा जैन पत्नी श्री वरुण जैन, पूनम देवी लूणीया पत्नी श्री | | | | |

| | |
|----------|---|
| | जसवन्तराज लूणीया, जयमाला जैन पत्नी श्री जितेन्द्र जैन, श्रुति लुणीया पत्नी श्री चन्द्रेश लुणीया, अमिता जैन पत्नी श्री संजय जैन, भावना जैन पत्नी श्री मयंक जैन, |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 57, 58, 60, 61, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80/1, 81, 83, 84, व 86 कुल खसरे 15 रकबा ख.सं. 57, रकबा 7-08 बीघा, ख.सं. 58, रकबा 8-09 बीघा, ख.सं. 60, रकबा 7-19 बीघा, ख.सं. 61, रकबा 4-13 बीघा, ख.सं. 72, रकबा 22-18 बीघा, ख.सं. 74, रकबा 7 बीघा, ख.सं. 75, रकबा 3-14 बीघा, ख.सं. 76, रकबा 20-16 बीघा, ख.सं. 77, रकबा 25-11 बीघा, ख.सं. 78, रकबा 6-08 बीघा, ख.सं. 80/1, रकबा 10 बीघा, ख.सं. 81, रकबा 17-15 बीघा, ख.सं. 83, रकबा 6-10 बीघा, ख.सं. 84, रकबा 10 बीघा, ख.सं. 86, रकबा 7 बीघा, कुल खसरे 15, कुल रकबा 166-01 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार एच.टी. लाईन सेप्टी कॉरीडोर उपरान्त 40-40 फीट सडक को मानचित्र में दर्शाया जावे एवम् आवेदित भूमि में गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक को दर्शाया जावे। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.08.2023 के बिन्दु संख्या 06 के तहत आवेदित भूमि को आवश्यक पहुँच मार्ग 100 फीट के स्थान पर जोनल डवलपमेंट प्लान एवं एच.टी.लाईन सेप्टी कॉरीडोर के प्रावधान अनुसार 80 फीट पहुँच मार्ग पर ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। 5. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 (III) निजी विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में से सडक के मार्गाधिकार में वृद्धि हेतु निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्र में छूट प्रदान की जा सकेगी तथापि योजना में न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन एरिया/पार्क हेतु ले-आउट प्लान में रखना अनिवार्य होगा अतः आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी.लाईन व जोनल डवलपमेंट प्लान सडक के क्षेत्र के समतुल्य 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र में छूट प्रदान की जाती है। 6. जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 7. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हेक्टेयर से अधिक) के प्रावधान अनुसार न्यूनतम 10 प्रतिशत पार्क/ग्रीन का प्रावधान योजना में किया जावे। 8. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 11. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की रकब की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |



| | |
|--|--|
| | 13. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 14. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |
|--|--|

एजेण्डा संख्या 07 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|--|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 50/1 रकबा 20.17.14 बीघा में से 01.10.04 बीघा, खसरा संख्या 50/2 रकबा 03.16.19 बीघा एवं खसरा संख्या 50/4 रकबा 03.06.08 बीघा कुल रकबा 08.13.11 बीघा | 08.13.11 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री बलवीरसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह, श्रीमती उदयकंवर पत्नी श्री मनोहरसिंह, श्रीमती संतोष कंवर पुत्री श्री मनोहरसिंह, श्री केशरसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, श्री गिरधर पुत्र श्री पूनाराम सैन | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 50/1 रकबा 20.17.14 बीघा में से 01.10.04 बीघा, खसरा संख्या 50/2 रकबा 03.16.19 बीघा एवं खसरा संख्या 50/4 रकबा 03.06.08 बीघा कुल रकबा 08.13.11 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 08 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 85 | 12.15.00 बीघा में से 12.06.04 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री धेवरराम पुत्र श्री बरतीराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 85 रकबा 12.15.00 बीघा में से 12.06.04 बीघा बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- | | | | |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 4. उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 7. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 8. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 9. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 10. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवापि, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 12. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 13. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार गोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |
|--|--|

एजेण्डा संख्या 09 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डिगाडी | 26/1 | 01.10.00 बीघा | होटल (पर्यटन ईकाई) |
| आवेदक | श्री ढलाराम पुत्र श्री हडमानराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 26/1 रकबा 01.10.00 बीघा में होटल (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया- <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई 80 रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित सड़क का मार्गाधिकार 40 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 20 फीट भूमि प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।</p> <p>5. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा से गुजर रही एच.टी.लाईन की क्षमता व दुरी की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर व जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार सडक अंकित की जावे।</p> <p>6. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> |
|--|---|

एजेण्डा संख्या 10 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 243/2, 237/7 | 11.18.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती सुशीला जयपाल पत्नी श्री नरेन्द्र जयपाल, श्री मालमसिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 243/2, 237/7 रकबा 11.18.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 242/1, 243/5 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सडक को दर्शाया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |



एजेण्डा संख्या 11:-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 262/2, 262/1 | 10.09.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज, श्री कोजाराम पुत्र श्री गुणेशाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 262/2, 262/1 रकबा 10.09.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई 80 रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है 0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

एजेण्डा संख्या 12 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|------------------|---------------|---------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारड़ा | 76, 66/5/1, 66/6 | 54.03.04 बीघा | फार्म हाउस उपविभाजन |
| आवेदक | श्री हनुमान सिंह भाटी पुत्र स्व श्री शिवदान भाटी, श्रीमती उमराव पत्नी श्री हनुमानसिंह भाटी, श्री जैनेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह भाटी, दायित्व सोशल वेलफेयर सोसायटी जरिये चैयरमन श्री विजेन्द्र सिंह भाटी। | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 76, 66/5/1, 66/6 रकबा 54.03.04 बीघा में फार्म हाउस उपविभाजन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद विचार-विमर्श मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ फार्म हाउस एकल भूखण्ड का उपविभाजन किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपविभाजन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। 2. आवेदको द्वारा भूखण्ड का संयुक्त नाम से जारी पट्टा विलेख में से पारिवारिक बंटवारानामा (Family Settlement/Partition) दिनांक 15.12.2022 (भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प क्रमांक M763649) अनुसार पाँच भागों में उपविभाजन प्रस्तावित किया गया है एवम् मूल भूखण्ड में से 40 फीट रास्ता प्रस्तावित कर पहुँचमार्ग दर्शाया गया है। आवेदको द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र/सहमति (भारतीय गैर न्यायिक स्टॉम्प क्रमांक BP167157) अनुसार उक्त रास्ते को सदैव आवागमन हेतु खुला रखा जाना होगा। आवेदको द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेज जैसे पारिवारिक बंटवारानामा एवं शपथ-पत्र/सहमति इत्यादि की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। | | | | |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. फार्म हाउस प्रयोजनार्थ जारी मूल भूखण्ड का पट्टा समर्पित कर उक्त भूखण्ड में प्रस्तावित 40 फीट पहुँचमार्ग को छोड़ते हुए उपविभाजित भागों का नवीन सृजित भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. उपविभाजित भागों के पहुँचमार्ग की मौके पर सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. आवेदित भूखण्ड में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क का अंकन/दर्शाया जावे। 6. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा से गुजर रही एच.टी.लाईन की क्षमता एवं मौका स्थिति बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर एच.टी. लाईन के सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव अनुसार सेपटी-कॉरिडोर एवं सड़क का प्रावधान किया जावे। 7. राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एवं समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र अनुसार उपविभाजन हेतु देय राशि जमा करवायी जावे। |
|--|---|

एजेण्डा संख्या 13:-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 263 | 12.07.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज, श्रीमती देपीदेवी पत्नी श्री पुसाराम, श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 263 रकबा 12.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 14 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 27/7, 27/10, 27/11 | 10.00.00 बीघा में से 08.02.12 बीघा | संस्थागत एकल (स्कूल/कॉलेज) |
| आवेदक | श्रीमती मगन जैन पत्नी श्री विनय जैन | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 27/7, 27/10, 27/11 रकबा 10.00.00 बीघा में से 08.02.12 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |

| | |
|----------|---|
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 120 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 60 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी.लाईन के सहारे सेपटी कॉरीडोर उपरान्त 40-40 फीट सडक को मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के क्रम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
|----------|---|

एजेण्डा संख्या 15 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 264 / 4 | 04.00.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 264/4 रकबा 04.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 264, 264/2 व 264/4 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

— 6 —

एजेण्डा संख्या 16 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|------------------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 50/9, 50/11 व 50/14 | 02.19.09 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री हर्षवर्धन पुत्र श्री करणसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 50/9, 50/11 व 50/14 रकबा 02.19.09 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 80 फीट रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 40 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 80-80 फीट की सड़को को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 17 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 263, 264/2, 264/6, 262/2 | 12.00.12 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 263, 264/2, 264/6, 262/2 रकबा 12.00.12 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे।</p> <p>5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे।</p> <p>6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।</p> <p>7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।</p> <p>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</p> |
|--|---|

एजेण्डा संख्या 18 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 264/1 | 09.04.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 264/1 रकबा 09.04.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 4. उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 6. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 7. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 8. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। | | | | |

| | |
|-----|--|
| 9. | योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। |
| 10. | मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। |
| 11. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। |
| 12. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
| 13. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। |

एजेण्डा संख्या 19 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 249/9, 249/10 | 06.00.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री बालकिशन पंवार पुत्र श्री हनुमान चन्द | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

एजेण्डा संख्या 20 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 290/2, 290/20 व 290/25 | 11.15.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक व श्री नरेन्द्र पारीक पुत्रान् श्री बुधराज | | | | |

| | |
|----------|---|
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 290/2, 290/20 व 290/25 रकबा 11.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरीडोर एवम् सेपटी कॉरीडोर सहारे सड़क का प्रावधान किया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |

एजेण्डा संख्या 21 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|------------------|---------------|--------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डांगियावास | 291/6 व 297/7 | 09.00.00 बीघा | होटल (पर्यटन ईकाई) |
| आवेदक | श्रीमती दीक्षा शर्मा पत्नी श्री रमेशचन्द्र शर्मा | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 291/6 व 297/7 रकबा 09.00.00 बीघा में होटल (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। सड़क मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की कुक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 22 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 620/3 | 18.01.00 बीघा में से 17.12.07 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती कविता पुत्री श्री मंगलसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 620/3 रकबा 18.01.00 बीघा में से 17.12.07 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के रोड भाग से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

एजेण्डा संख्या 23 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 620/4 | 18.01.00 बीघा में से 18.00.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती सविता पुत्री श्री मंगलसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 620/4 रकबा 18.01.00 बीघा में से 18.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के रोड भाग से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। | | | | |

| | |
|----|---|
| 6. | टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। |
| 7. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 8. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
| 9. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |

एजेण्डा संख्या 24 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डोलिया | 145 | 01.14.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्रीमती उगली पत्नी श्री बुधाराम, श्री बालाराम, श्री छेलाराम, गणपत, दिलीप सुरेन्द्र संध्या पि. बुधाराम, नाबा, श्री सुरेन्द्र वली माता उगली पत्नी श्री बुधाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 145 रकबा 01.14.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई पूर्व कमिटमेंट अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर का प्रावधान किया जावे अथवा उक्त लाईन को शिफ्ट किये जाने बाबत प्रार्थी से शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 25 :-


| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डिगाडी | 225/23/1 | 02.04.00 बीघा | होटल (अधिकतम 50 कमरे) |
| आवेदक | श्री महेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री पीराराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 225/23/1 रकबा 02.04.00 बीघा में होटल (अधिकतम 50 कमरे) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई 80 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 40 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 26 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड़ | 620/5 | 18.01.00 बीघा में से 17.11-15 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती विनीता पुत्री श्री मंगलसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 620/5 रकबा 18.01.00 बीघा में से 17.11-15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के रोड भाग से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉन्डीडोर का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। | | | | |

एजेण्डा संख्या 27 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड़ | 620/2 | 18.01.00 बीघा मे से 17.07.04 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्रीमती आरती पुत्री श्री मंगलसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 620/2 रकबा 18.01.00 बीघा मे से 17.07.04 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 फीट रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 फीट भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के रोड भाग से गुजर रही एल.टी विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति की रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कॉन्डीडोर का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। | | | | |



| | |
|----|---|
| 5. | टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। |
| 6. | टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। |
| 7. | उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। |
| 8. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
| 9. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |

एजेण्डा संख्या 28 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 264, 264/8 | 12.06.12 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धन्नाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 264, 264/8 रकबा 12.06.12 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 29 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | कांकलाव | 1073/6 | 04.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री गणेशराम पुत्र श्री मोहनलाल | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम कांकलाव के खसरा संख्या 1073/6 रकबा 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- | | | | |



| |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
|---|

एजेण्डा संख्या 30 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | सजाडा | 39 | 07.09.00 बीघा | रिसोर्ट (पर्यटन ईकाई) |
| आवेदक | श्री देवेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रामचन्द्रसिंह | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम सजाडा के खसरा संख्या 39 रकबा 07.09.00 बीघा में रिसोर्ट (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित मार्ग को 30 मीटर व पश्चिम में स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 3. उक्त निर्धारित 30 मीटर व 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/स्वारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2018 अनुसार रिसोर्ट हेतु प्रस्तावित एकल पट्टे के प्रकरण में सुविधा क्षेत्र हेतु समर्पित की जाने वाली 5 प्रतिशत भूमि की एवज में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की डी.एल.सी दर से राशि वसूल की जावें। 5. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किसे गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 31 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 133/3 | 09.07.12 बीघा मे से 2220.58 वर्गमीटर | आवासीय एकल |
| आवेदक | श्री पाबूराम, श्री सेसाराम पुत्रान् श्री मंगलाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 133/3 रकबा 09.07.12 बीघा मे से 2220.58 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। <p>प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 32 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|------------------|------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | उचियारडा | 133/3 | 2092.56 वर्गमीटर | आवासीय एकल |
| आवेदक | श्री पाबूराम, श्री सेसाराम पुत्रान् श्री मंगलाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 133/3 रकबा 2092.56 वर्गमीटर में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 30 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। <p>प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 33 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 296 / 2 | 70.04.09 बीघा में से 02.09.00 बीघा | शैक्षणिक (एकल भूखण्ड) |
| आवेदक | श्री बलवीर सिंह, जगदीश व श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्रान् श्री पाबुराम, | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 296 / 2 रकबा 70.04.09 बीघा में से 02.09.00 बीघा में शैक्षणिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को 60 फीट सडक से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक गुजर रही है जिसे मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. मास्टर डवलपमेंट प्लान डी.सी.आर अनुसार Nursery/Primary/Middle School, Coaching, Training Center and Institute अनुज्ञेय है अतः अनुज्ञेय उपयोग अनुरूप ही पट्टा विलेख जारी किये जाने बाबत् जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 34 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 310 / 14 | 03.11.10 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री ओमेश कुमार, श्री सीताराम पि. शंकरलाल, सन्तु पत्नी श्री कैलाशचन्द्र, भगवानराम, विशाल, कार्तिक पि. कैलाशचन्द्र, रेणुका पुत्री कैलाशचन्द्र, | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 310 / 14 रकबा 03.11.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 310 / 11 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। | | | | |

| | |
|-----|--|
| 9. | प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
| 10. | राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |

एजेण्डा संख्या 35 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | बनाड | 310/16 | 10.13.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | 1. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री ओमाराम, जरिये रजिस्टर्ड आम-मुख्यार श्री धनश्याम चौधरी पुत्र श्री देवाराम चौधरी 2. श्री ओमाराम पुत्र श्री सुखाराम जरिये रजिस्टर्ड आममुख्यार श्री सोहनलाल डावोला पुत्र श्री मेहराराम डावोला | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 310/16 रकबा 10.13.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि को ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु विचाराधीन पत्रावली खसरा संख्या 310/14 से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, अतः खसरा संख्या 310/14 का ले-आउट प्लान जारी होने के उपरान्त ही उक्त प्रकरण का ले-आउट जारी किया जावे जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 36 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डोलिया | 175/5 | 05.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री भंवरलाल पुत्र श्री किशनाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 175/5 रकबा 05.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 30 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>2. उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</p> <p>3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाधि एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> |
|--|--|

एजेण्डा संख्या 37 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | जाटियावास | 18/1 | 20.00.00 बीघा में से 15.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री वीराराम पुत्र श्री मूलाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम जाटियावास के खसरा संख्या 18/1 रकबा 20.00.00 बीघा में से 15.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भारी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 30 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त निर्धारित 30 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाधि एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। | | | | |



| |
|---|
| 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। |
|---|

एजेण्डा संख्या 38 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|---|--------------|-------------|---------------|---------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डांगियावास | 265/2 | 03.01.00 बीघा | शैक्षणिक एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री सुखाराम पुत्र श्री प्रेमराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 265/2 रकबा 03.01.00 बीघा में शैक्षणिक (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को मुख्य सड़क से 60 फीट लिंक सड़क द्वारा पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है अतः उक्त 60 फीट लिंक सड़क को समर्पित करवाये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

एजेण्डा संख्या 39 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | श्रीयादे गांव | 95 | 41.08.00 बीघा में से 12.00.00 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | मरुभूमि रियलटर्स प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालसिंह भाटी पुत्र श्री अमरसिंह भाटी, श्रीमती शशि सुराणा पत्नी श्री सोहनराज सुराणा | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव के खसरा संख्या 95 रकबा 41.08.00 बीघा में से 12.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. योजना मानचित्र में जोजरी नदी के सहारे वृक्षारोपण पट्टी व 18 मीटर सड़क का प्रावधान किया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है 0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की रवीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।</p> <p>9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।</p> <p>10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p> <p>11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।</p> |
|--|---|

एजेण्डा संख्या 40 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | विश्वोईयों की ढाणी | 550/2 | 04.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री गंगाराम पुत्र श्री भागचन्द | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम विश्वोईयों की ढाणी के खसरा संख्या 550/2 रकबा 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 41 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | विश्वोईयों की ढाणी | 550/3 | 04.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री भागचन्द पुत्र श्री चेलाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम विश्वोईयों की ढाणी के खसरा संख्या 550/3 रकबा 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 42 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | विश्वोईयों की ढाणी | 550/1 | 04.00.00 बीघा | फार्म हाउस एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री पवन कुमार पुत्र श्री भागचन्द | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम विश्वोईयों की ढाणी के खसरा संख्या 550/1 रकबा 04.00.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |
| निर्णय:- | समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भूमि को विधिवत पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। | | | | |

एजेण्डा संख्या 43 :-


| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | नान्दडा कलां | 277/3 | 01.19.03 बीघा मे से 01.17.19 बीघा | आवासीय योजना |
| आवेदक | श्री मुकेश सिंघवी पुत्र श्री उमदेमल सिंघवी | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 277/3 रकबा 01.19.03 बीघा मे से 01.17.19 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। | | | | |

| | |
|----------------|--|
| निर्णय- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क को योजना मानचित्र में दर्शाया जावे। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 6. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 11. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। |
|----------------|--|

एजेण्डा संख्या 44 :-

| बैठक दिनांक | जोन | राजस्व ग्राम | खसरा संख्या | रकबा | प्रयोजन |
|-----------------|--|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| 06.10.2023 | जोन-1 | डांगियावास | 261/4 | 02.14.00 बीघा | होटल एकल भूखण्ड |
| आवेदक | श्री धनश्याम मेघवाल पुत्र श्री रूपाराम | | | | |
| विषय:- | राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 261/4 रकबा 02.14.00 बीघा में होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। | | | | |
| निर्णय:- | <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। सड़क मार्गाधिकार पश्चात 30 मीटर गहराई की कृषारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत् नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। | | | | |

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



 09/11/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/148-152

दिनांक:- 09/11/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-1), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)


एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति जोन-1 (ले-आउट प्लान) की 33/2023 की बैठक दिनांक 06.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति मृदुला शेखावत, उपायुक्त (जोन-1) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव